रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-सा.-05012023-241691
CG-DL-W-05012023-241691

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 48] नई दिल्ली, दिसम्बर 25—दिसम्बर 31, 2022, शनिवार/ पौष 4—पौष 10, 1944

No. 48] NEW DELHI, DECEMBER 25—DECEMBER 31, 2022, SATURDAY/ PAUSHA 4—PAUSHA 10, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 201.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 केपरन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुएऔर राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, दिल्ली सहायक निदेशक (रसायन)/विष विज्ञानी भर्ती नियम,1985 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र में सहायक निदेशक (रसायन)/विष विज्ञानी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिएनिम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र, सहायक निदेशक (रसायन)/विष विज्ञानी समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमो से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता** -वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की सविंदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की सविंदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके,तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करकेइन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

1. **व्यावृति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद।	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियोंके लिए अपेक्षितशैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक निदेशक (रसायन)/ विष विज्ञानी	*2 (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क 'राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (67000 - 208700 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा याप्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
आयु : लागू नहीं होता। शैक्षिक अहर्ताएं : लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविंदा भी है। (ii) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविंदा भी है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47600-151150 रु.) में ऐसे अनुसंधान अधिकारी (रसायन) जिन्होंने उस श्रेणी में 6 वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने विभाग द्वारा यथाविहित दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो । **टिप्पण** : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अहर्कया पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्निति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब की उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहलेही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्निति के लिए अपनी परिविक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविंदा भी है) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रो या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों / विश्व -विद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओ अथवा स्वायत्तया क़ानूनी संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56100-177500 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव हों : **आवश्यक :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कार्बनिक रसायन में मास्टर डिग्री; (ii) नाशक जीवमार उनके सूत्रीकरणों या मानकों और पशुओ में नाशक जीवमार के जैव निम्नीकरण के क्वालिटी निंयत्रण में पांच वर्ष का अनुसन्धान या अध्यापन अथवा व्यवहारिक अनुभव : **वांछनीय :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कार्बनिक रसायन में डॉक्टरेट। **टिप्पण :1** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण : 2** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य सगंठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियो में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
<u>**विभागीय प्रोन्नति समिति**</u> (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष /सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. अपर सचिव या संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य 3. उप महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

<u>विभागीय पुष्टि समिति</u> (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक या निदेशक (ए एंड वी), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 3. निदेशक, राष्टीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र - सदस्य	

[फा. सं. 1-42/2019-प्रशा.I]

मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 28th December, 2022

G.S.R. 201.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Malaria Eradication Programme, Delhi Assistant Director (Chemistry)/Toxicologist Recruitment Rules 1985, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Chemistry)/Toxicologist , in the National Center for Vector Borne Disease Control under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, National Center for Vector Borne Disease Control , Assistant Director (Chemistry)/Toxicologist (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix .-** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-** No person ,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax .-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do,it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Castes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of Post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether Selection post or non selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Assistant Director (Chemistry)/ Toxicologist	2 * (2022) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service. (Gazetted) Non-Ministerial. Group,A.	Level 11 in the Pay Matrix (Rs.67700 - 208700/-)	Selection post	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the, case of Promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
8	9	10
Age : Not applicable EQ : Not applicable	Two years for promotees	i) 50 % by deputation including short term contact. ii) 50 % by promotion failing which by deputation including short term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which, promotion or deputation or absorption to be made.
11

Promotion:-

Research Officers (Chemistry) in level-8 of the Pay Matrix (Rs.47600-151150) with 6 years or regular in the grade and have successfully completed the training of two weeks as prescribed by the Department.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion,their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years,whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (ISTC)

Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings/ University or Recognised Research Institutionsor autonomous or statutory organisation :

(a) (i) Holding analogus posts on a regular basis in the parent cadre or department ; or

(ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in posts in level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) or equivalent in the parent cadre or department ; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience:

Essential:

(i) Masters degree in Organic Chemistry from a recognised University or Institute ;

(ii) Five years research or teaching or practical experience in quality control of pesticides their formulations or of bio-degradation of pesticides in humans and animals.

Desirable:

Doctorate in Organic Chemistry from a recognised University or Institute.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.Similarly,the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Selection Commission to be consulted in making recruitment.
12	13
Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of : 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission - (Chairman) 2. Additional Secretary or Joint Secretary (Health),Ministry of Health and Family Welfare - (Member) 3. Deputy Director General, Directorate General of Health Services - (Member)	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

Departmental Confirmation Committee(for considering the confirmation) consisting of : 1. Joint Secretary,Ministry of Health and Family Welfare - (Chairman) 2. Deputy Director General or Director (A and V), Directorate General of Health Services - (Member) 3. Director, National Center for Vector Borne Disease Control - (Member)	

[F. No. 1-42/2019-Admn.I]

MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 202.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता, संस्कृति मंत्रालय (समूह 'ग' और 'घ' पदों) की भर्ती नियमावली, 2004 के अधिक्रमण में, जहां तक इसका संबंध सहायक के पदों से है, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, एतद्वारा केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता में सहायक के पद के लिए भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :–**

   (i) इन नियमों का नाम केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता (समूह 'ख' पद) भर्ती नियमावली, 2022 होगा।

   (ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 **आवेदन -** ये नियम, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स का लेवल –** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा उससे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में लेवल इस अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

4. **भर्ती का तरीका, आयु सीमा, अर्हताएं, इत्यादि –** उक्त पद पर भर्ती का तरीका, आयु सीमा, अर्हताएं और पद से संबंधित अन्य मामले पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा निर्दिष्ट अनुसार होंगे।

5. **निरर्हता –** कोई व्यक्ति, -

   (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है, अथवा

   (ख) पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या करार किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा;

   परंतु केंद्र सरकार, यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के तहत् इस तरह के विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को इस नियम को उस पर लागू किए जाने से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।